पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 13 नवम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

जनपद वाराणसी में जयगुरूदेव सत्संग मण्डल, मथुरा के तत्वावधान में आयोजित आध्यात्मिक सत्संग व शोभा यात्रा के दौरान घटित घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने को मंजूरी

श्री जयगुरूदेव सत्संग मण्डल, मथुरा के तत्वाधान में दिनांक 15.10.2016 को जनपद वाराणसी के ग्राम कटेसर एवं ग्राम डोमरी में आध्यात्मिक सत्संग एवं शोभायात्रा का आयोजन किया गया था। कस्बा व थाना रामनगर क्षेत्र में शोभायात्रा के दौरान राजघाट लोहे के पुल पर अचानक भगदड़ मच गयी, जिसमें 25 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 05 व्यक्ति घायल हो गये।

2- उक्त घटना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जॉच आयोग का गठन करते हुए, न्यायिक जॉच कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा जॉच आयोग अधिनियम-1952 (अधिनियम संख्या-60, सन् 1952) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह (पुलिस) अनुभाग-11 से निर्गत अधिसूचना संख्या-3045/6-पु0-11-16-521एम/ 2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से श्री राजमणि चौहान, मा0 न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) को एकल सदस्यीय न्यायिक जॉच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। **उक्त न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।**

प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्तविहीन) में कार्यरत शिक्षकों को 'मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार' से सम्मानित किए जाने के सम्बन्ध में

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त लगभग 19275 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्तविहीन) संचालित है, जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत योगदान किया जाता है। प्रदेश के ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रों तक माध्यमिक शिक्षा को पहुँचाने में वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकगण के विशिष्ट योगदान को देखते हुए को राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार' से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

मक्का की खरीद के सम्बन्ध में

मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1700.00 प्रति कुन्तल निर्धारित है। मक्का क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 01 लाख मी0टन रखा गया है। धान क्रय अवधि 15 नवम्बर, 2018 से 15 जनवरी, 2019 तक होगी। मक्का की खरीद जनपद अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूँ, बहराइच, फर्रूखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोण्डा, बलिया, बुलन्दशहर, ललितपुर व श्रावस्ती में की जायेगी। अन्य जनपदों में आवक के दृष्टिगत खाद्यायुक्त द्वारा मक्का खरीद का निर्णय लिया जा सकेगा।

मक्का विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा आनलाइन मक्का क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गयी। मक्का की उतराई, छनाई, सफाई इत्यादि के खर्च के मद में कृषकों को अधिकतम रू0 20 प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया जायेगा। यह भुगतान मक्का के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। किसानों से मक्का खरीद जोतबही/खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटायुक्त पहचान प्रमाण–पत्र यथासम्भव आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी। मक्का क्रय केन्द्र हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार की व्यवस्था सम्बन्धित क्रय एजेन्सी द्वारा ई–टेण्डर के आधार पर की जायेगी। नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा मक्का के मूल्य का भुगतान ऑनलाइन आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से मक्का क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जायेगा। चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी।

उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 में पंचम संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थानों में विद्यमान प्रवक्ता के पद को समाप्त कर सहायक आचार्य में संविलीन करने, तद्नुसार शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण करने तथा चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती की अधिकतम व न्यूनतम आयु सीमा को संशोधित करने आदि विषयक उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली–1990 (यथा संशोधित) के पंचम संशोधन को अनुमोदित किया जाना है।

जनपद फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर जनपद अयोध्या एवं मण्डल फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर मण्डल अयोध्या किए जाने के सम्बन्ध में

जिलाधिकारी, फैजाबाद ने पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2018 द्वारा अवगत कराया है कि अयोध्या की गणना सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में होती है। यह देश विदेश में अत्यन्त ख्याति प्राप्त प्राचीन पवित्र तीर्थस्थल है। अयोध्या विभिन्न कालों में कई राज्यों/ राजवंशों की राजधानी भी रही है। दूर–सुदूर भू–भागों में भी इस क्षेत्र की जान पहचान अयोध्या के रूप में ही है। अतः जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा जनपद फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर जनपद अयोध्या किये जाने का प्रस्ताव मण्डलायुक्त फैजाबाद को उपलब्ध कराया गया है।

2– जिलाधिकारी, फैजाबाद की आख्या एवं संस्तुति पर मण्डलायुक्त, फैजाबाद ने पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2018 द्वारा जनपद फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर जनपद ''अयोध्या'' किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराया गया है कि अयोध्या इक्ष्वाकुवंश की राजधानी रही है एवं यह मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मस्थान के रूप में भी विश्व विख्यात है। इन तथ्यात्मक अवधारणाओ के आधार पर भी जनपद ''फैजाबाद'' का नाम ''अयोध्या'' किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है। जिलाधिकारी, फैजाबाद व आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद की उक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 ने पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 2018 द्वारा जनपद ''फैजाबाद'' का नाम जनपद ''अयोध्या'' एवं मण्डल ''फैजाबाद'' का नाम मण्डल ''अयोध्या'' किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3– राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर जनपद ''फैजाबाद'' का नाम परिवर्तित कर जनपद ''अयोध्या'' एवं मण्डल ''फैजाबाद'' का नाम परिवर्तित कर मण्डल ''अयोध्या'' किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के संबंध में वित्त एवं न्याय विभाग द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गयी है।

इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज किए जाने के सम्बन्ध में

शासन की अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा जिला इलाहाबाद का नाम जिला प्रयागराज के रूप में परिवर्तित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि इलाहाबाद, मण्डल के अन्तर्गत 4 जनपद–प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ जनपद आते हैं तथा यह मण्डल, इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। मण्डल का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। अतः इलाहाबाद मण्डल का नाम भी परिवर्तित करते हुए प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

2– उक्त के कम में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 2018 द्वारा इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज किये जाने की अधिसूचना निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त वर्णित तथ्यों एवं राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज किया जाना प्रस्तावित है।

3– उक्त के संबंध में वित्त एवं न्याय विभाग द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गयी है।

गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग विस्तारीकरण हेतु 296 भवनों/भूमियों का क्रय किए जाने का प्रस्ताव मंजूर

धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र वाराणसी के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण योजना प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग विस्तारीकरण हेतु 166+130 कुल–296 भवनों/भूमियों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण की योजना पर लगभग रू0–413.1096 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत भवनों/भूमियों का क्रय राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2015 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत निहित सम्पत्तियों के स्वामियों की सहमति से ही भवन क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर में 05 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों तथा इनसे सम्बद्ध जिला चिकित्सालय अथवा रेफरल अस्पताल के संचालन हेतु सोसाइटी गठन किए जाने के सम्बन्ध में

केन्द्र सहायतित योजना **Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/ Referral Hospitals** (फेज–।) के अन्तर्गत बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर मे 05 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों तथा इनसे सम्बद्ध जिला चिकित्सालय अथवा रेफरल अस्पताल के संचालन हेतु सोसाइटी गठन के सम्बन्ध में।

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–1) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालयों /रेफरल अस्पताल को उच्चीकृत कर 05 नये राजकीय मेडिकल कालेज यथा– बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर निर्माणाधीन है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्रियाशील राजकीय मेडिकल कालेजों के चिकित्सा शिक्षकों एवं नर्सेज का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा पैरा–मेडिकल कालेज स्टाफ का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाता है।उक्त चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया में लगभग डेढ़ से 02 वर्ष का समय लगने के साथ ही समेकित भर्ती होने से छोटे शहरों में स्थित नये मेडिकल कालेजों में फैकल्टी द्वारा प्रायः योगदान नहीं किया जाता है, जिससे पठन–पाठन का कार्य प्रभावित होता है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज–।) के अंतर्गत अन्य राज्यों यथा–राजस्थान, गुजरात एवं मध्यप्रदेश में सोसाइटी के माध्यम से मेडिकल कालेज सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे है। उक्त राज्यों में किये गये अध्ययन के फलस्वरूप नव स्थापित 05 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों को फरवरी, 2019 तक क्रियाशील करने के लिए फैकल्टी तथा नान फैकल्टी के पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की प्रकिया तीव्रगति से सम्पन्न किये जाने हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु सोसाइटी का गठन वांछनीय है।

सोसाइटी का गठन किये जाने से इन चिकित्सा संस्थाओं में विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत तीव्र गति से निर्णय लिया जाना सम्भव हो पायेगा तथा संस्थान के स्तर पर निर्णय की स्वायत्तता में वृद्धि होगी तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने में लचीलापन (Flexibility) आयेगा।

संस्थानों को स्वायत्तता मिलने से चिकित्सा शिक्षकों को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित इन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्य करने हेतु आकर्षित किया जा सकेगा जिसके माध्यम से न केवल चिकित्सा शिक्षण का कार्य अपितु शोध कार्य एवं चिकित्सीय उपचार में सुधार होगा तथा इससे प्रत्यक्ष स्तर पर जनता को लाभ हो सकेगा।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1 ए के रिसीविंग सब–स्टेशन के निर्माण हेतु राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, फैजाबाद रोड, लखनऊ की 4,000 वर्ग मीटर एवं वायडक्ट के निर्माण हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक, फैजाबाद रोड, लखनऊ की 48.03 वर्ग मीटर भूमि लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध में

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के नार्थ–साउथ कॉरिडोर (एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया) के रिसीविंग सब–स्टेशन के निर्माण हेतु राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, लखनऊ के परिसर की 4000 वर्ग मीटर भूमि एवं फैजाबाद रोड से मुंशी पुलिया की ओर मोड़ पर मेट्रो के निर्धारित संरेखण के अन्तर्गत वायडक्ट के निर्माण हेतु राजकीय पालीटेक्निक, फैजाबाद रोड, लखनऊ के परिसर की 48.03 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मा0 मंत्रि परिषद द्वारा आज दिनांक 13.11.2018 को निम्नवत निर्णय अवलोकित किया गया :–

1– लखनऊ–फैजाबाद रोड स्थित राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ की 4000 वर्ग मीटर भूमि को लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के नार्थ–साउथ कॉरिडोर के रिसीविंग सब–स्टेशन के निर्माण हेतु तथा लखनऊ–फैजाबाद रोड स्थित राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ की 48.03 वर्ग मीटर भूमि को लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के नार्थ–साउथ कॉरिडोर के वायडक्ट के निर्माण हेतु प्रश्नगत भूमि, जोकि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय पॉलीटेक्निक, लखनऊ की है, को प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को प्रतीकात्मक रु. 1.00 की लीज पर 99 वर्षों हेतु दिया जायेगा। उक्त लीज की शर्तों में उक्त भूमि लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को सबलीज पर दिया जाना भी सम्मिलित होगा अर्थात प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा इसकी अनुमति लीज के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को प्रतीकात्मक रु. 1.00 की सबलीज पर हस्तान्तरित किया जायेगा। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि, जो कि प्राविधिक शिक्षा विभाग की है, उसका हस्तान्तरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपर्युक्तानुसार लीज डीड के माध्यम से की जायेगी तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को सबलीज के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा।

2– उक्त कार्यवाहियों के साथ–साथ राजकीय पॉलिटेक्निक, लखनऊ की 48.03 वर्गमी0 भूमि, जिसे लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव है, पर संस्था के निर्मित भवन/ शाप/वर्कशाप इत्यादि को छात्रों की शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था बाधित न हो, इसके दृष्टिगत एल.एम.आर.सी. द्वारा स्वयं के व्यय पर सम्बन्धित भवनों को ध्वस्त करते हुए सम्बन्धित पॉलिटेक्निक की रिक्त भूमि/भवन पर नवीन भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

3– लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना एक दीर्घकालीन परियोजना है उसके क्रियान्वयन में फील्ड में व्यावहारिक कठिनाईयां आ सकती है। अतः उपर्युक्त प्रस्ताव में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्द्धन किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

———————————

PN-CM-Cabinet Decision-13 November, 2018